पत्रांक–1 / प्रा0आ0(2)–24 / 2006...1834/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 8.6.12

विषय– **भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों संचालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–52(प्र0) दिनांक–26.05.2012 के द्वारा भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में निदेश भेजा गया है, जिसमें पांच वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त सुबह–शाम आवश्यकतानुसार दूध मुहैय्या कराने का प्रावधान भी किया गया है। दूध की आपूर्त्ति कॉम्फेड द्वारा किया जाना है तथा वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में जिलों से पृच्छा की गई है कि बच्चों को मुहैय्या कराये जाने वाले दूध की मात्रा क्या होगी तथा कॉम्फेड द्वारा दूध उपलब्ध नहीं कराये जाने पर दूध का कय कहॉ से किया जा सकता है।

उपरोक्त के आलोक में विभाग द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि राहत कैम्पों में सुबह–शाम 250–250 मि0ली0 दूध 5 वर्ष अथवा इससे कम उम्र के बच्चों को दिया जाय। कॉम्फेड द्वारा दूध नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर अच्छी गुणवत्ता का दूध का कय किया जा सकता है। दूध संकमणमुक्त हो, इसकी जांच भी जिला पदाधिकारी करा लेंगे।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)

प्रधान सचिव